रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1976/पौष 27, 1897
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1976/PAUSA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th January 1976

S.O. 44(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 34(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Containers and Closures Limited, remain suspended upto the 18th January, 1974, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th of January, 1974;

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto the 18th of January, 1976.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 18th January, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 18th January, 1977.

[No. F. 2(17)/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 44 (अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 34(अ)/18 चख/उ०वि०वि०अ०/73 तारीख 19 जनवरी, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र, करार, परिनिर्धारण, पंचाट स्थायी आदेश या अन्य लिखित (उनसे भिन्न जो बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोज़र्स लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, का प्रवर्तन 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1976 तक बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 2(17)/72 सी० यू० सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।